



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक
किरानी-4762/2018/रीवा/भू.श.

/2018 पुनरीक्षण

रामप्रसाद पुत्र श्री बद्रीराम ब्राहमण
निवासी- ग्राम चाकघाट, तहसील
त्योथर, जिला रीवा --आवेदक

बनाम

1. रामकैलाश
2. रामराज
3. रमाकान्त पुत्रगण श्री रघुवीर प्रसाद
निवासी- ग्राम चाकघाट, तहसील
त्योथर, जिला रीवा
4. रामप्रपंच
5. श्रीनिवास पुत्रगण हरमंगल राम
6. जगनायक
7. रामलखन पुत्रगण श्री लोकनाथ
8. भक्तदर्शन
9. राजकमल पुत्रगण श्री रामेश्वर प्रसाद
निवासीगण- ग्राम चाकघाट, तहसील
त्योथर, जिला रीवा, म0प्र0

-- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 07/07/2018 पारित द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योथर जिला रीवा के
प्रकरण कमांक 130/ए-27/17-18 अपील व उनवान
रामकैलाश आदि बनाम रामप्रसाद आदि ।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4762/18/रीवा नभू.रि.

शाम प्रसाद/राजबलार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>27-12-18</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>आरि.जी. दिवेदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>राजेश</u> के प्रकरण क्रमांक <u>130/A-27/17-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>07-07-18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	